FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0037 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 02/09/2026 17:30 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	147
3	IPC 1860	218
4	IPC 1860	409
5	IPC 1860	420
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/1984 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2019

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 02/09/2026 **Time (समय):** 16:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 017 **Date and Time (दिनांक और समय):** 02/09/2026 16:40 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 6 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** जिला गुरुग्राम,

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H)
राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम
Gurugram Range Gurugram

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): अर्जुन राठी

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 30/06/1982 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	रा0स0 एंव भ्र0नि0ब्यूरो GGM, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	रा0स0 एंव भ्र0नि0ब्यूरो GGM, GURUGRAM, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9991112000

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	श्याम सिहं		Father's Name: श्री भगवान सिहं ठाकरान	1. गांव झाडसा गुरुग्राम, GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	श्री डी सुरेश IAS			1. तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP,Panchkula,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
3	श्री गिरीश कुमार IAS			1. तत्कालीन प्रशासक HSVP,Panchkula,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
4	श्री नितिन हुडा			1. तत्कालीन अधीक्षक HSVP,HQ Panchkual,PANCHKULA,HARYANA,INDIA
5	अनिल कुमार अग्रवाल			1. तत्कालीन DA HSVP,Panchkula,PANCHKULA,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

POLICE STATION S.V. &A.C.B. (H)
राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम
Gurugram Range Gurugram

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total valu e of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे , प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम । विषय- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे । श्रीमान जी, निवेदन है कि एक शिकायत शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मातादीन, गावँ कन्हई तहसील व ज़िला गुरुग्राम ने मुताबिक शिकायत नम्बर 261 दिनांक 14-06-2024 के अनुसार श्रीमान पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम को दी जिसका मजबुन जैल है "श्रीमान एस0पी0 साहब एस०पी० साहब, विजिलैन्स ब्यूरो) सैक्टर 47 गुरुग्राम। श्रीमान जी,हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में Departmental Litigation Committee की आढ में विभाग के अफसरों ने प्रोपर्टी डीलरों से मिलकर बहुत घोटाले किए है। यह लोग भू माफिया के साथ मिलकर इस प्रकार के हुडा सैक्टरों के प्लाटों पर नजर रखते थे और जब भी मौका मिला इन प्लाटों को मोटी रिश्वत लेकर अलाट कर देते थे। कागजों में यह प्लाट अलाटी को ही अलाट होता था लेकिन इससे पहले प्रोपर्टी डीलर उस प्लाट के मालिक से जी०पी०ए०/ मुख्यत्यारआम ले लेते थे। अलाटी की तरफ से प्रोपर्टी डीलर ही हुडा महकमें में अप्लीकेशन लगाता था और उन्ही का वकील अदालतों में कानुनी लडाई लडता था। हुडा विभाग के बडे बडे अधिकारी इस घन्धे में शामिल रहें। इन लोगों ने सरकार को करोडों रुपयों का चूना लगाया और अपने घरों में पैसों का ढेर लगा लिया। गुरुग्राम हुडा सैक्टर में एक Plot No. 257A Sector 39 गुरुग्राम के बारे में जो Oustees qouta में अलाट हुआ की जानकारी दे रहा हूँ। Plot No. 257A Sector 39 गुरुग्राम के अलाट होने मे अन्य हिस्सेदारो से - सहमति ना होने के बाद भी मिलीभगत करके गलत तरीके से अलाट किया गया है।

Plot No. 257A Sector 39 गुरुग्राम श्री श्याम सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह ठाकरान ने दिनांक 13.07.1994 को 10425 रूप्ये के साथ 4 मरला प्लाट के अप्लाई किया। EO-HUDA GGM ने श्याम सिंह को दिनांक 05.11.96 को अपने कार्यालय के नम्बर 4821 से एक पत्र लिखा जिसमें उसे प्रत्येक हिस्सेदार का बयान हल्फिया व एन०ओ०सी० दाखिल करने बारे निर्देश दिए ।

EO-HUDA GGM ने श्याम सिंह को Oustees gouta मे प्लाट देने बारे ड्रा निकलने की सूचना अपने अपने कार्यालय के नम्बर 2737 दिनांक 04.03.1998 दी जो ड्रा की तारीख 09.03.1998 रखी गई।

EO-HUDA GGM ने श्याम सिंह को Oustees qouta के प्लाट न० 257ए के सम्बन्ध 03.06.1998 को अपने कार्यालय के नम्बर 2408 दिनांक 03.06.1998 के अनुसार सम्बन्धित प्रत्येक हिस्सेदार की एन०ओ०सी० दाखिल करवाने बारे लिखा गया।

योजना अनुसार इस प्लाट का अलाटमैन्ट लैटर तैयार किया गया जो आज भी प्लाट की फाईल में मौजूद है इस अलाटमैन्ट लैटर पर Estate officer के हस्ताक्षर नहीं है, लेकिन बतौर Account Officer श्री आर०एस०गोयल के हस्ताक्षर है। इस कोटा से प्लाट का एलाटमैन्ट लैटर तैयार नहीं हो सकता था चुकिं उस समय इस भूमि के और हिस्सेदार भी थे, और उनकी तरफ से एन०ओ०सी० नहीं आई थी। यह पुरी कार्यवाही श्याम सिंह को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे लेकर किया गया। इस पत्र पर श्री आर०एस०गोयल द्वारा बतौर Account Officer हस्ताक्षर कर रखें है ।

POLICE STATION S.V. & A.C. (H)
राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक
ब्यूरो (ह) गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम
Gurugram Range Gurugram

श्याम सिहँ ने एक affidavit जिस पर समी हिस्सेदारों के हस्ताक्षर थे हुडा विभाग में प्रस्तुत कर दिया। जब इस बारे में अन्य हित्सेदारों को पता चला तो भगत सिहँ पुत्र स्व० छोटूराम निवासी ग्राम झाडसा ने 24.06.1998 को एक शिकायत भेजी जिसमें भगत सिहँ ने लिखा कि श्याम सिहँ द्वारा झुठ बोलकर उनके हस्ताक्षर करवाएँ गए है, इसलिए इस प्लाट का कब्जा श्याम सिंह को ना दिया जाए।

इस शिकायत के बाद हुड्डा कार्यालय गुरुग्राम से एक पत्र श्री भगत सिहँ को लिखा गया इस पत्र में memo No. 3133/14451 Dated 30.07.1998/18.08.1998 लिखी हुई है, इस लैटर में भगत सिहँ को Estate Officer HUDA Gurgaon में व्यक्तिगत तौर पर दिनाँक 29.07.1998 को उपस्थित होने बारे लिखा हुआ है यह पत्र हस्तलिखित है। Estate Officer HUDA Gurgaon पर हस्ताक्षर के निचे 18.08.1988 तिथी दर्ज है। पत्र तैयार करने की तिथी, हस्ताक्षर करने की तिथी एवं शिकायतकर्ता भगत सिहँ को बुलाने की तिथीयों काफी विरोधाभास है। पत्र भेजने की तिथी तो 30.07.1998 है लेकिन शिकायतकर्ता को बुलाया 29.07.1998 को गया है, यानि बुलाने के लिए पत्र आगे की तारीख में है जबकि शिकायत करने वाले को उपस्थित होने की तारीख पहले की है।

दिनाँक 03.08.1998 को अन्य सभी हित्सेदारो की तरफ से प्रशासक हुड्डा गुडगावों के पास ओबजेक्शन आ गया कि श्याम सिंह को प्लाट अलाट ना दिया जाए यह पत्र हुडा दफतर मे डायरी न0 2258 दिनांक 11.08.08 पर दर्ज है। यही पत्र उनके द्वार एस्टेट आफिसर हुड्डा विभाग को भी भेजा गया जो एस्टेट आफिसर के कार्यालय में डायरी नम्बर 6238/13.08.1998 पर दर्ज किया गया।

हुडा विभाग के पास अन्य हिस्सेदारों के आब्जैक्शन आने के बाद हुडा विभाग ने श्याम सिहँ को अपने कार्यालय के नम्बर न0 2897 दिनांक 18.2.99 द्वारा लिख दिया गया कि अन्य हिस्सेदारो ने प्लाट देने बारे एतराज किया है, इसलिए आपको प्लाट का अलाटमैन्ट लैटर जारी नहीं हो सकता है। अतः आप प्लाट की अलाटमेन्ट के लिए सभी Co-sharers से NOC लेकर आए तभी आपको अलाटमेन्ट लेटर जारी होगा। इसकी सूचना हुडा विभाग द्वारा भगत सिहँ को भी कार्यालय के नम्बर 2898 दिनॉक 16.02.1999 के अनुसार भेजी गई।

हुडा विमाग में अन्य हिस्सेदारों द्वारा दी गई शिकायत पर विभाग में हुए पत्राचार के दौरान नोटिंग में श्री आर एस० गोयल द्वारा दिनांक 17.07.98 लिखा गया कि इस मामले में सभी हिस्सेदारो को कार्यालय मे बुला लिया जाए। इसके उपरान्त दिनाँक 10.02.1999 की नोटिंग में भी साफ तौर पर लिख दिया कि श्याम सिंह को यह प्लाट अलाट ना किया जावे ।

इस बारे में दिनाँक 11.08.2017 को श्याम सिहँ ने एक लिगल नोटिस हुडा विभाग के पास भेजा जिसके बाद, हुडा विभाग के सरकारी वकील द्वारा श्याम सिंह के लिगल नोटिस के जवाब मे दिनॉक 29.09.2017 को अपनी लीगल ओपिनियन दी जिसमें उन्होंने प्लॉट अलॉट करने के बारे मे Head Office से Guidelines लेने की सलाह दी ।

हुडा विभाग कि लीगल ओपिनियन के बाद एस्टेट आफिसर गुडगावों ने Chief Administrator HUDA (Urban Branch) Panchkula को कार्यालय नम्बर 7462 दिनोंक 16.10.2017 को पत्र लिखा इसकी एक कापी Administrator HUDA Gurugram को भी भेजी गई।

श्याम सिंह ने प्लाट अलाटमैन्ट के लिए एक CWP No. 23202 of 2017 High Court मे डाली।

दिनाक 08.06.2018 को Chief Administrator HUDA HSVP कार्यालय के नम्बर 116544 से एस्टेट आफिसर हुडा-II को लिखा कि इस बारे मे DA, HSVP, PKL से राय ली गई है, तथा यह प्लाट अलाट नही किया जा सकता और यह ड्रा रदद करने योग्य है।

Chief Administrator HUDA HSVP ने Estate officer HUDA Gurugram को पत्र न० 10 दिनांक 17.08.2018 के द्वारा प्लाट अलाटमैन्ट को गलत माना तथा draw को भी रदद के योग्य बतलाया। साथ ही यह भी कहा कि 08.05.2018 की Guidelines जो कि CWP No 22252 of 2016 के बाद विभाग द्वारा जारी की गई थी, के अनुसार, भविष्य मे जब भी कोई Advertisement निकले, केवल तभी श्याम सिंह का Claim consider किया जाए। साथ ही उन्होने श्याम सिंह की CWP को Contest करने बारे निर्देश दिए।

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम Gurugram Range Gurugram

प्लाट अलाटमैन्ट के सम्बन्ध में अलाटी द्वारा CWP No. 23202 of 2017 Punjab Haryana High Court में दायर की गई, जिसके सम्बन्ध में Estate Officer HUDA -II Gurugram द्वारा दिनाँक 20. 08.2018 को अपनी Reply,Punjab Haryana High Court में दाखिल की गई। इस Reply में विभाग द्वारा प्लाट के बारे पुरी स्थिती स्पष्ट करते हुए, अलाटी का इस प्लाट पर कोई दावा नहीं बनने बारे लिखा गया। Punjab Haryana High Court द्वारा इस CWP No. 23202 of 2017 में अगली तिथि दिनॉक 22.01.2019 निर्धारित की गई थी। Punjab Haryana High Court द्वारा दिनांक 22.01.2019 को यह CWP No. 23202 of 2017, Dispose of कर दी गई, यह कहते हुइ कि Legal Notice का Reply दिया जा चुका है।

अलाटी द्वारा दायर की गई CM 2953 of 2019 में सुनवाई दिनाँक 27.02.2019 को हुई इसमें Petitioner उपस्थित नहीं होने पर तारीख दिनॉक 09.07.2019 रखी गई। इसके उपरान्त दिनाँक 09.07.2019 को इस CM 2953 में Punjab Haryana High Court में निर्णय HSVP के हक में दिया तथा 22.01.2019 के आदेश को यथोचित रख दिया।

जब Punjab Haryana High Court में निर्णय विभाग के हक में दिनाँक 09.07.2019 को आ गया जिसका पता श्री डी०सुरेश, IAS, CA HUDA, Girish Arora, IAS Retd. Administrator HQ, Anll Aggarwal DA/CA HQ Nitin HOODA Supt. को लग चुका था। इन लोगों ने अलाटी से मिलकर योजना के अनुसार प्लाट के सम्बन्ध में Superintendent, U.B HSVP Panchkula श्री नितिन हुड्डा ने अपने कार्यालय के नम्बर 24397-98 दिनांक 12.7.2019 के आधार पर Administrator HSVP Gurugram, एस्टेट आफिसर हुडा II को लिखा इस पत्र में श्री नितिन हुडा ने Departmental Litigation Committee के निर्णय की कापी साथ लगाते हुए, उसका हवाला गई है । यह पुरी कार्यवाही योजना अनुसार की गई, अगर Departmental Litigation Committee के निर्णय की तिथि 29.05.2019 थी तो दिनॉक 29.05.2019 से दिनॉक 12.07.2019 के बीच यह पत्र क्यों नहीं लिखा गया। इसके अलावा जब Punjab Haryana High Court में निर्णय विभाग के हक में दिनाँक 09.07.2019 को आ चुका था, तो उनके द्वारा सरकार के हक में कार्यवाही ना करके अलाटी के हक में यह पत्र लिखा गया। यहाँ पर सभी अधिकारी व कर्मचारी जानबुझकर Punjab Haryana High Court में निर्णय को गोलमाल कर गए क्योंकी उन्होने इस काम के लिए मोटे पैसे रिश्वत के तौर पर लिए हुए थे ।

जब श्याम सिहँ Chlef Administrator HUDA HSVP डी०सुरेश, IAS, CA HUDA, Girish Arora, IAS Retd. Administrator HQ, Anil Aggarwal DA/CA HQ Nitin HUDA Supt. से मिलीभगत करते हुए इस विवादित प्लाट की अलाटमैन्ट सम्बन्धित कारवाई अपने हक में करवा ली तो उसके तुरन्त बाद ही प्लाट का अलाटमैन्ट लैटर दिनांक 07.08.2019 को Memo No. HSVP/EO-11/2019/Asstt/9 5204 dated 07.08.2019 जारी किया गया। इस अलाटमैन्ट लैटर पर श्री अमरनाथ Asstt. श्री रघुवीर सिंह Supt. व श्री मुकेश सोलंकी Estate Officer -11 HSVP Gurugram के हस्ताक्षर है।

प्लाट अलाट होने के तुरन्त बाद ही श्याम सिहँ ने प्लाट ट्रान्सफर करने की एप्लीकेशन 15.10.2019 को हुडा मे लगाकर उपरोक्त प्लाट को श्रीमति सीतारानी सिंगल के नाम करा दी ताकि प्लाट दोबारा रदद करने में दिक्कत आये क्योकि उसे डर था कि प्लाट उपरोक्त उसके नाम मे गलत तरीके से व तथ्यो को छिपाकर अलाट किया गया है।

इस मामले में मुख्य दोषी जिन्होने असंवैधानिक व गलत तरीके प्लाट अलाट किया श्री डी०सुरेश, IAS, CA HUDA, Girish Arora, IAS Retd. Administrator HQ, Anil Aggarwal DA/CA HQ Nitin Hooda Supdt. तथा अन्य कर्मचारी श्याम सिहँ के साथ शामिल रहें है, इस मामले में कानुनी कार्यवाही की जाएँ । सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मातादीन, गावैं कन्हई त०व जिला गुरुग्राम मो०न० 8377838585

शिकायत संख्या 261 दिनांक 14-06-2024 शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री मातादीन वासी कन्हई तहसील जिला गुरुग्राम कार्यवाही हेतु निरीक्षक राजकरण थाना राज्य सतर्कात एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम को प्राप्त हुई। शिकायत में कोई जांच अमल में नहीं लाई गई परन्तु शिकायत के साथ लगे दस्तावेजों का निरीक्षक राजकरण द्वारा अवलोकन किया गया। जो दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया पाया गया है कि श्याम सिहं पुत्र श्री भगवान सिहं ठाकरान द्वारा हुडा विभाग के अधिकारियो से मिलीभगत करके गलत तरीके से षडयन्त्र करके Qustees Qouta से यह प्लाट अलाट करवाया तथा हुडा विभाग के अधिकारिय ने अवपने पद का दुरूपयोग करके हुडा/ HSVP विभाग के नियमो की उलधन्ना करते हुऐ गलत तरीके से उक्त प्लाट अलाट किया जिससे सरकार को करोडो रूपयो की हानि हुई

POLICE STATION A.C.B. (H)
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरुग्राम
Gurugram Range Gurugram

और श्री श्याम सिहं को अनुचित लाभ पहुंचाया । जो शिकायत व दस्तावेजो के अवलोकन से आरोपी श्याम सिहं पुत्र श्री भगवान सिहं ठाकरान, श्री डी सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, , श्री नितिन हुडा तत्कालीन अधीक्षक HSVP HQ Panchkual व अनिल कुमार अग्रवाल तत्कालीन DA HSVP Panchkula द्वारा प्रथम दृष्टया धारा 147,218, 409, 420, 120बी IPC 7, 13 PC Act का अपराध करना पाया जाने पर श्री सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, , श्री नितिन हुडा तत्कालीन अधीक्षक HSVP HQ Panchkual व अनिल कुमार DA HSVP Panchkula के खिलाफ धारा 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत प्रमिशन सक्षम अधिकारियो से मांगी गई और अभियोग अंकित करके अनुसंधान करने की सिफारिश की गई तथा अन्य आरोपियों की संलिप्ता की जांच FIR दर्ज होने के बाद अनुसंधान के दौरान देख ली जाने की अनुशंसा की गई ।

पुलिस अधीक्षक , राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम के कार्यालय के पत्र क्रमांक 2969/ACB/GGM दिनांक 19-06-2024 के अनुसार 17-A PC Act की अनुमित के लिए पत्र भेजा गया था । जो Chief Secretary Office Vigilance 1-VII क्रमांक 10/44-/2024 दिनांक 23-07-2026 तथा पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 14749 /Secret /SVACB(H) दिनांक 27-07-2026 के अनुसार श्री सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, श्री नितिन हुडा तत्कालीन अधीक्षक HSVP HQ Panchkual व श्री अनिल कुमार DA HSVP Panchkula की 17A- PC Act की अनमुति प्राप्त हो चुकी है । इसलिए पृथम दृष्या हुडा विभाग के प्लाट नम्बर 257 A सैक्टर 39 गुरूग्राम को गलत तरीके से एक षडयन्त्र के तहत हुडा/ HSVP विभाग के अधिकारी जिन्होने पर अपने का दुरूपयोग किया एंव सरकार को करोडो रूपयो की हानि पहुंचाई तथा श्याम सिहं पुत्र श्री भगवान सिहं ठाकरान जिसने अनुचित लाभ प्राप्त किया तथा गलत तरीके से प्लाट अलाट करवाया और फिर आगे बेचना पाया जाने पर धारा 147,218, 409, 420, 120बी IPC 7, 13 PC Act का अपराध करना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ड्राफ्ट FIR तहरीर बर खिलाफ श्याम सिहं पुत्र श्री भगवान सिहं ठाकरान, श्री डी सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, श्री नितिन हुडा तत्कालीन अधीक्षक HSVP HQ Panchkual व अनिल कुमार अग्रवाल तत्कालीन DA HSVP Panchkula के खिलाफ तैयार करके अनुमोदन हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक नम्बर 4266/ SVACB /GGM Dated13-08-2026 के अनुसार भेजी गई थी । श्रीमान महानिदेशक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय के पत्र क्रमांक 16292 /Secret/ SVACB (H) Dated 18-08-2026 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त इस कार्यालय मे प्राप्त हुई है । पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मन उप पुलिस अधीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मार्क की है आज मै हाजिर कार्यालय राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम हूँ । श्याम सिहं पुत्र श्री भगवान सिहं ठाकरान, श्री डी सुरेश IAS तत्कालीन मुख्य प्रशासक HSVP Panchkula, श्री गिरीश कुमार IAS तत्कालीन प्रशासक HSVP Panchkula, श्री नितिन हुडा तत्कालीन अधीक्षक HSVP HQ Panchkual व अनिल कुमार अग्रवाल तत्कालीन DA HSVP Panchkula के विरूद्ध धारा 147,218, 409, 420, 120बी IPC 7, 13 PC Act के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने हेतू तहरीर तैयार करके HC रविन कुमार नम्बर 2585/FBD के माध्यम से थाना राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम भेजी जा रही है। अभियोग दर्ज करके अभियोग संख्या से सूचित किया जायें। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियामानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो को भिजवाई जायें । अभियोग की मिशल मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु प्रियान्शु दीवान, ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक के पास भिजवाई जायें । sd (अर्जुन राठी, ह0पु0से0) उप पुलिस अधीक्षक , रा0 स0 एंव भ्र0 नि0 ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम । दिनांक – 02.09.2026 AT- 04.20 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो नियमानुसार अफसरान बाला व ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट ई-मेल द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की मिशल मय असल तहरीर आने वाले HC रविन कुमार नम्बर 2585/FBD के हाथ आगामी अनुसंधान हेतु DSP प्रियान्शु दीवान उप पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है। व DSP प्रियान्शु दीवान की CCTNS ID ना होने के कारण DSP भारतेन्द्र कुमार उप पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम की ID में दर्ज की जा रही है।

राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम
Gurugram Range Gurugram

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): BHARTENDRA KUMAR Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): DSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Madan K

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): ~~omparkash~~ Madan Kumar

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): ~~12sr~~ 175/66M

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

POLICE STATION S.V. & A.C.B. (H)
राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह) गुरूग्राम मण्डल, गुरूग्राम
Gurugram Range Gurugram

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))